



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 29]

नई दिल्ली, जुलाई 14—जुलाई 20, 2019, शनिवार/आषाढ़ 23—आषाढ़ 29, 1941

No. 29]

NEW DELHI, JULY 14—JULY 20, 2019, SATURDAY/ASADHA 23—ASADHA—29, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 26 जून, 2019

का.आ. 1246.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 11 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डॉ. विरल वी. आचार्य के त्याग-पत्र को दिनांक 23.7.2019 से स्वीकार करती है।

[फा. सं. 7/1/2012-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 26th June, 2019

S.O. 1246.— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 11 of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Government, hereby accepts the resignation of Dr Viral V. Acharya as Deputy Governor, Reserve Bank of India with effect from 23.7.2019.

[F. No. 7/1/2012-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2019

का.आ. 1247.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उप-धारा (4) के साथ पठित उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री एन. एस. विश्वनाथन (जन्म तिथि: 27.6.1958) को उनकी वर्तमान में नियुक्ति की अधिसूचित तीन वर्ष की अवधि, जो दिनांक 3.7.2019 को समाप्त होती है, से आगे एक वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 3.7.2020 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी-गवर्नर के पद पर पुनः नियुक्त करती है।

[फा. सं. 1/1/2011-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2019

S.O. 1247.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) read with sub-section (4) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Government, hereby re-appoints Shri N. S. Vishwanathan (date of birth: 27.6.1958) as Deputy Governor, Reserve Bank of India for a further period of one year beyond his currently notified period of appointment of three years that expires on 3.7.2019, *i.e.*, till 3.7.2020, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 1/1/2011-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.